फारम-\111-क

कार्यालय नगर परिषद फुलवारी शरीफ

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या-8(4)

अग्यकं आवेदन संख्या— तिथि के लदर्भ में

भोठ अध्नमात्र की घर =10 भीठ केताल पीय उक्त भार पिलंडरेक आवासीय भवन के निर्माण

- (事)
 - (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण।
 - भवन के पुनःनिर्माण।
- विदयमान भवन में परिर्वत्तन या परिवर्धन।
- भवन के उपयोग में परिवर्तन।

हेतु नगर परिषद फुलवारी शरीफ क्षेत्र बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनेयम, 2012 के अधीन स्कोम के ... प्लौट नं0-...... 62.3 खाता नं:- 797 ती.जो नं0-2346 धाना नं0- २५. मौजा-प्रकाला के मध्याधीन एतद् हारा भवन योजन जिसका जान केत नं0- 2031-2718-19 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 489.73

वर्गमीटर एवं ५ ने 🚄 की स्वीकृति दी जाती है :--

- मूनि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृथ्वांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा। (国)
- अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 🛂 庆 🙎 अर्गमीटर का पाकिंग का स्थान खुला रखा जाएगा और (11) इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाता.
- प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि ... १:80 ... मी० चौडाइं के अनुतोदित इंच नार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी। (되)
- प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवस्य हो। (3)
- सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक दिनिन्न विकास योजना/आयोजन (리) प्राधिकारों / या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 में अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजन एडिजा होड़ों हो इहिन्छ नगर परिषद जुलकरी शरीफ आयोजना क्षेत्र में वर्गनीटर सही तूरे की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख हं तैन दर्ज की अविध में हिए विधिनान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस युद्धगढ़ जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी
- योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख है जार क अधिक वह रहित की बाबत कोई विवाद (月) होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अन्त कर करता रह करड़ी आदेगी।
- बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और दिकास) निया यही (REPA), 2017 की हार्ती के अधीन राज्य में गठित (a) मू-सस्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परिटोत का निद्धान कर न अनिद्धार्य होगा।
- (E) भू—स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्य दारणाहां । बारा का है। का का किसोवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रृटि ! हर-पर किया पहार्ग पहार पर सक्शा अस्वीकृत किये

- मवन का निर्माण स्वीकृत नवसे क अनुरूष । जाय, राध्या में किया भी प्रकार के अभियमितता / विद्यलन पाय जान की स्थिति । पाय पाय के विधिसम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (इ) Environmental Protection Act 'क नहत वर् कर है किगांग के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रवंधन नियम (Solid Waste Managa ler Rules) 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लग रिहैबिलिटेशन एव विदेशकार्याट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) अन्य शर्त।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार नवन ए हैं । 2014 के स्वयंत पावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन्न निर्माण किया जाभूगा।

प्रभाषी विशेषीत्री

प्रधान किपिक किनीय अभियंता

Jaiz stem

नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद फुलवीरी शरीफ

ज्ञापांक : 1328 मिलाक 20 10 2021

भार वहना की सूचनार्थ प्रेषित

नगर परिषद फुलवारी शरीफ

